



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 29.05.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के टॉप- 10 अपराधी एवं मु0अ0सं0 234/21 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम में 15 हजार रुपये के ईनामी/वांछित/वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व ईनामी/वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के टॉप- 10 अपराधी एवं मु0अ0सं0 234/21 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित 15 हजार रुपये के ईनामी/वांछित/वारण्टी अभियुक्त फिरोज पुत्र लियाकत निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है ।



मा0 न्यायालय बागपत द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त फिरोज के विरुद्ध थाने के मु0अ0सं0 335/20 में वारंट भी जारी है । अभियुक्त फिरोज थाने के मु0अ0सं0 234/21 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम में वांछित चल रहा था । जिसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा पूर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-फिरोज पुत्र लियाकत निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

अभियुक्त फिरोज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1-मु0अ0सं0 32/12 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 33/12 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 335/20 धारा 294/323/504/506 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 234/21 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

5-मु0अ0सं0 178/22 धारा 3/25 ए एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री नोवेन्द्र सिंह सिरोही थाना सि0अहीर बागपत

2-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना सि0अहीर

3-का0 442 प्रमोद कुमार थाना सि0अहीर

4-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सि0अहीर



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 29-05-2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने रास्ते में गिरे हुए मोबाइल फोन को उसके मालिक को लौटाया।

दिनांक 29 मई 2022 को का0 588 अजय कुमार चौकी स्टौल थाना खेकड़ा को कस्बा स्टौल में गस्त के दौरान रास्ते में एक मोबाइल फोन (OPPO) पड़ा मिला। मोबाइल फोन मालिक का पता निकालकर सम्पर्क किया गया तो उसने बताया की वह कस्बा खेकड़ा में दूकान पर नौकरी करता है। सुबह घर से दूकान जाते समय उसका फोन रास्ते में गिर गया था। का0 588 अजय कुमार द्वारा उसका मोबाइल फोन लौटाया गया।

मोबाइल मालिक द्वारा खोया मोबाइल फोन पाकर काफी खुश हुआ और बागपत पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई।

पुलिस टीम-

1- का0 588 अजय कुमार थाना खेकड़ा।



थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाना बडौत के हिस्ट्रीशीटर 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे (एक .12 बोर व एक .315 बोर) मय 07 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अवैध शस्त्र व वांछित/एचएस अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे (एक .12 बोर व एक .315 बोर) मय 07 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- गिरफ्तार अभियुक्त अजय उर्फ गोली व सन्नी उर्फ पैडा थाना बडौत के हिस्ट्रीशीटर अपराधी है।

महत्वपूर्ण सूचना:-बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अजय उर्फ गोली पुत्र सतवीर निवासी पटटी गोपी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत।

2-सन्नी उर्फ पैडा पुत्र अनिल निवासी पटटी गोपी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय उर्फ गोली उपरोक्त (HS-N- 980ए)

1-मु0अ0स0 912/18 धारा 307 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

2-मु0अ0स0 916/18 धारा 414 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

3-मु0अ0स0 1018/18 धारा 307/504/506 भादवि बडौत जनपद बागपत।

4-मु0अ0स0 1102/19 धारा 147/148/149/307/323 भादवि बडौत जनपद बागपत।

5-मु0अ0स0 1112/19 धारा 3/25/27 ए एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

6-मु0अ0स0 1072/18 धारा 3/25/27 ए एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।

7-मु0अ0स0 1196/17 धारा 364 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

8-मु0अ0स0 1392/18 धारा 323/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

9-मु0अ0स0 22/19 धारा 147/148/323/504 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।

10-मु0अ0स0 1106/19 धारा 307/504/506 भादवि बडौत जनपद बागपत।

11-मु0अ0स0 156/22 धारा 3/25 ए एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सन्नी उर्फ पैडा उपरोक्त (HS- N- 991ए)

1-मु0अ0स0 808/19 धारा 307/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

2-मु0अ0स0 882/16 धारा 379/411 भादवि बडौत जनपद बागपत।

3-मु0अ0स0 912/18 धारा 307 भादवि बडौत जनपद बागपत।

4-मु0अ0स0 913/18 धारा 3/25 ए एक्ट बडौत जनपद बागपत।

5-मु0अ0स0 916/18 धारा 414 भादवि बडौत जनपद बागपत।

6-मु0अ0स0 922/16 धारा 379/411 भादवि बडौत जनपद बागपत।

7-मु0अ0स0 952/16 धारा 379/411 भादवि बडौत जनपद बागपत।

8-मु0अ0स0 964/16 धारा 379/411 भादवि बडौत जनपद बागपत।

9-मु0अ0स0 965/16 धारा 379/411 भादवि बडौत जनपद बागपत।

10-मु0अ0स0 967/16 धारा 379/411 भादवि बडौत जनपद बागपत।

11-मु0अ0स0 968/16 धारा 379/411 भादवि बडौत जनपद बागपत।

12-मु0अ0स0 969/16 धारा 379/411 भादवि बडौत जनपद बागपत।

13-मु0अ0स0 973/16 धारा 411/414/420 भादवि बडौत जनपद बागपत।

14-मु0अ0स0 22/19 धारा 147/148/323/504 भादवि बडौत जनपद बागपत।

15-मु0अ0स0 155/22 धारा 3/25 ए एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .12 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस ।
- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 यशपाल सिंह थाना छपरौली ।
- 2-उ0नि0 देवेन्द्र कुमार थाना छपरौली
- 3-उ0नि0 सत्यम जंघाला थाना छपरौली
- 4-का0 769 नारायणराय थाना छपरौली
- 5-का0 557 राहुल कुमार थाना छपरौली
- 6-का0 550 अनिल कुमार थाना छपरौली
- 7-का0 434 मनित कुमार थाना छपरौली

थाना चांदीनगर पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से करीब 20 कुन्तल कन्डेक्शन एलुमिनियम तार (जला/अधजला) मय 02 प्लास्टिक कट्टा राख व एक गाडी बोलेरो पिकअप बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से बिना अनुमति के रात्रि में जलाये गए करीब 20 कुन्तल कन्डेक्शन एलुमिनियम तार (जला/अधजला) मय 02 प्लास्टिक कट्टा राख व एक गाडी बोलेरो पिकअप रजि न0 DL- 1LV- 4175 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 113/2022 धारा 268/269/270/278 भादवि व 2/3 वायु (प्रदूषण निवास कौरबटी) अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-आस मौहम्मद पुत्र मुस्तकीम निवासी केले गोदाम वाली गली गिरि मार्केट कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- करीब 20 कुन्तल कन्डेक्शन एल्युमिनियम तार व 02 प्लास्टिक कट्टा राख ।
- एक गाडी बोलेरो पिकअप रजि न 0DL- 1LV- 4175

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि श्री रविन्द्र कुमार थाना चांदीनगर
2. का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर
3. का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर





थाना बिनौली

दिनांक 29-05-2022

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस व सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 126/22 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता सकुशल बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस व सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 126/22 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी उ0नि0 श्री उपदेश शर्मा साईबर/सर्विलांस सैल बागपत ।
- 2-उ0नि0/यूटी श्री आदित्य कुमार थाना बिनौली
- 3-है0का0 गवेन्द्र सिंह सर्विलांस सैल बागपत ।
- 4-है0का0 99 मुनीश शर्मा थाना बिनौली
- 5-का0 दीपक तेवतिया सर्विलांस सैल बागपत ।
- 6-का0 अरुण सर्विलांस सैल बागपत ।
- 7-का0 अनुज सर्विलांस सैल बागपत ।
- 8-म0का0 870 मनीषा पंवार थाना बिनौली

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने का टॉप -10/एक जिलाबदर अभियुक्त किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर थाने का टॉप -10/एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से एक तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1- गौरव उर्फ मुल्ला पुत्र गंगाशरण निवासी ढिकौली थाना



चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरादगी का विवरण-

- एक तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस ।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 554/19 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना बागपत, जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 555/19 धारा 411/414/465/471/420 भादवि थाना बागपत, जनपद बागपत।
3. मु0अ0सं0 602/19 धारा 392 भादवि थाना बागपत, जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 603/19 धारा 307 भादवि थाना बागपत, जनपद बागपत ।
5. मु0अ0सं0 659/19 धारा 307 भादवि थाना,बागपत , जनपद बागपत ।
6. मु0अ0सं0 660/19 धारा 411/414 भादवि थाना बागपत, जनपद बागपत ।
7. मु0अ0सं0 661/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बागपत जनपद बागपत ।
8. मु0अ0सं0 118/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बागपत, जनपद बागपत ।
9. मु0अ0सं0 84/20 धारा 41/102 सीआरपीसी 411/414/467/468/471/420 भादवि चांदीनगर, जनपद बागपत ।
10. मु0अ0सं0 85/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चांदीनगर, जनपद बागपत ।
11. मु0अ0सं0 86/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद थाना चांदीनगर
2. है0का0 235 राजेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 48 बोतल अवैध बीयर दिल्ली मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक मारुति सुजुकी ईको कार बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 48 बोतल अवैध बीयर दिल्ली मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक मारुति सुजुकी ईको कार बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 213/22 धारा 63/72 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-आस मौहम्मद पुत्र इरफान निवासी ग्राम गंगेरू थाना कंधला जनपद शामली ।
- 2-समीर खान पुत्र अनीस खान निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-



- 48 बोटल अवैध बीयर दिल्ली मार्का ।
- एक मारुति सुजुकी ईको कार रजि० न० DL- 3CCN- 4797

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० अमित कुमार चौहान थाना खेकडा
2. का० 1083 शुभम राणा थाना खेकडा
3. HG 623 रविन्द्र ढाका थाना खेकडा

आबकारी टीम-

4. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 बागपत श्री दिनेन्द्र कुमार सिंह
5. है०का० अरविन्द सिंह

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 162/22 धारा 323/504/506/352/325 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.05.22 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री कुंवरपाल राणा पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त विनोद, बिजेन्द्र, बलवीर व विमल पुत्र बाबूराम निवासीगण ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने उसके घर में घुसकर वादी के पिता नरेन्द्र सिंह के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर कुल्हे की हड्डी तोड़ दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 162/22 धारा 323/504/506/352/325 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चालाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 162/22 धारा 323/504/506/352/325 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-विनोद पुत्र बाबू सिंह निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना सिंघावली अहीर
2. है०का० 301 हरिओम थाना सिंघावली अहीर

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 163/22 धारा 323/504/506/352/307/325 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे (एक .12 बोर व एक .315 बोर) मय 03 जिंदा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.05.22 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री बीर प्रताप पुत्र वीरसिंह निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त आकाश, हरिओम व विकास निवासी गण ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने उसके साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर उसका एक दांत तोड़ दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 163/22 धारा 323/504/506/352/307/325 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चालाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 163/22 धारा 323/504/506/352/307/325 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे (एक .12 बोर व एक .315 बोर) मय 03 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:-बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-आकाश पुत्र अनिल निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-हरिओम पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना सिंघावली अहीर
2. है0का0 301 हरिओम थाना सिंघावली अहीर
3. का0 467 टिन्कू अधाना थाना सिंघावली अहीर
4. का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर
5. का0 395 ललित रौसा थाना सिंघावली अहीर